

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला
बालाघाट (पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबडा)**

आप.प्रक.क्रमांक-1175 / 2013

संस्थित दिनांक-16.12.2013

फाई. क्र.234503000532013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1-बुधसिंह पिता स्व. सहायतासिंह धुर्वे, उम्र-32 वर्ष,

2-बसंत पिता इन्दरसिंह धुर्वे, उम्र-42 वर्ष,

3-महेन्द्र सिंह पिता झगलूसिंह कुसरे, उम्र-31 वर्ष

सभी निवासी ग्राम तरेगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट

- - - - **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(दिनांक 24 / 10 / 2017 को घोषित)**

01- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 341, 506 भाग-2 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 19.11.2013 को रात के करीब 10:00 बजे पवन के घर के पास आम रोड थाना बिरसा अंतर्गत लोक स्थान में फरियादी सखरूसिंह मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर फरियादी को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी को बांस की लाठी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया तथा फरियादी सखरू सिंह मेरावी को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 20.11.2013 को प्रार्थी सुखरूसिंह ने पुलिस थाना बिरसा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 19.11.13 की रात्रि करीब 10:00 बजे वह अपने भाई

विसम्बर के घर से अपने घर वापस आ रहा था, तभी पवन के मकान के सामने आम रोड़ पर बुधसिंह, बसंत एवं महेन्द्र द्वारा उसका रास्ता रोककर हाथ-मुक्कों से व लाठी से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 160/13 धारा-294, 323, 341, 506, 325 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध चालान क्रमांक 155/13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 341, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 19.11.2013 को रात के करीब 10:00 बजे पवन के घर के पास आम रोड़ थाना बिरसा अंतर्गत लोक स्थान में फरियादी सखरूसिंह मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य आरोपी के साथ मिलकर फरियादी सखरूसिंह मेरावी को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी को बांस की लाठी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान आम रोड़ पर फरियादी सखरूसिंह मेरावी को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

4. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुखरूसिंह मेरावी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—विवेचना एवं निष्कर्ष :—

05— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— साक्षी सुखरू अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 19.11.13 को रात्रि 8-9 बजे की है। बिसम्बर के घर खेती बाड़ी संबंधी बात करने गया था और वहाँ से वापस आ रहा था। पवन के घर के पास आरोपी बुद्धसिंह, बसंत और महेन्द्र उसे देख कर मँ-बहन की गाली देने लगे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। आरोपी बसंत ने कॉलर पकड़ लिया, आरोपी बुद्धसिंह ने लकड़ी से मारपीट किया एवं आरोपी महेन्द्र ने पकड़ कर रखा था और गाली बक रहा था। विवाद को लेकर आवाज लगाया तो पवन आया और बीच-बचाव किया था। उसके दाहिने हाथ की अंगुली में चोट आई थी। उसका मुलाहिजा बिरसा तथा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। उसने पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-2 बनाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.03 पुलिस को देना व्यक्त किया।

07— साक्षी सुखरू अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 19.11.13 की है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि चुनाव में वोट देने के संबंध में आरोपीगण के साथ विवाद हुआ था, विवाद होते समय बहुत से लोग घटनास्थल पर थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने बुद्धसिंह को दारू पीकर आये

हो बोला था, आरोपी बुद्धसिंह को उसने धक्का मार दिया था, घटना की रिपोर्ट करने घटना के दूसरे दिन गया था। साक्षी के अनुसार घटना होने के बाद सुबह गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसकी पुरानी रंजिश थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुरानी रंजिश के चलते उसने आरोपीगण को झूठा फसाया है। घटनास्थल का मौका-नक्शा गांव में आकर बनाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पुलिस ने क्या लिखे थे, पढ़कर नहीं बताये थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था। पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करने बोले तो उसने हस्ताक्षर कर दिया, किन्तु यह अस्वीकार है कि आरोपीगण से झूमा-झपटी के कारण उसे चोट आई थी। साक्षी के अनुसार आरोपीगण के द्वारा लठ से मारने के कारण चोट आई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त चोट घटना के पूर्व की है, उसके कथन को पुलिस वालों ने अपने मन से लिख लिये थे। साक्षी के अनुसार उसके बताये अनुसार लिखे थे। उसने अपना पुलिस बयान अच्छे से पढ़कर नहीं देखा था, क्योंकि उसे आंख से कम दिखाई देता है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया था तथा पुलिस ने अपने मन से रिपोर्ट लेख की थी।

08— साक्षी मीराबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी रात के 10-11 बजे रात्रि के समय की है। वह प्रार्थी सुखरूसिंह को भी जानती है। उसका पति सुखरूसिंह गांव में ही काम से गया था। आज आवाज आई तो घटनास्थल पर जाकर देखी तो सुखरूसिंह के हाथ से खून निकल रहा था। उसने सुखरूसिंह से पूछी तो कहा कि बुद्धसिंह ने उसे डंडे से मारा है। उन्होंने उसे उठाकर अस्पताल ईलाज हेतु ले गये थे। पुलिस आई थी और उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना बिसम्बर के घर के पास की है, उसके पति को आरोपीगण ने रास्ता रोक कर लाठी से मारपीट किये थे, मारपीट करने से उसके पति सुखरू को दाहिने हाथ की

अंगुलियों में गंभीर चोट आई थी, झगड़े के समय उसके पति को मारपीट किये थे तो झगड़े की बात बताने के लिये बिसम्बर के घर गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने घर में थी, घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है, उसके पति के साथ किन-किन लोगों का झगड़ा हुआ था, उसे जानकारी नहीं है, किसने किसको मारा था उसने नहीं देखी थी, पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे, आरोपीगण से उसके पति का पुराना विवाद चला आ रहा है, पुरानी रंजिश को लेकर उसके पति ने आरोपीगण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी।

09— साक्षी पवनसिंह अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है एवं फरियादी सुखरुसिंह को भी जानता है। सुखरुसिंह और उसका मकान पास-पास में है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी रात के 10-11 बजे रात्रि के समय की है। उसे दूसरे दिन पता लगा कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने गये हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसने घटना होते हुये नहीं देखा था, उसने सुखरुसिंह की आवाज सुनकर बाहर आकर यह नहीं देखा था कि सुखरुसिंह को आरोपीगण गाली-गुफ्तार देते हुए रास्ता रोककर उसके साथ लाठी से मारपीट कर रहे थे। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के मारने से प्रार्थी सुकरू के हाथ में चोट लगी थी, उसने सुखरुसिंह एवं आरोपीगण के विवाद में बीच-बचाव किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-4 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण और प्रार्थी के बीच में पहले से विवाद चला आ रहा है।

10— साक्षी सुकराम अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण

को जानता है एवं फरियादी सुखरूसिंह को भी जानता है। सुखरूसिंह और उसका मकान पास-पास में है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी रात के 10-11 बजे रात्रि के समय की है। उसे दूसरे दिन पता लगा कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने गये है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसने घटना होते हुये नहीं देखा था, उसने सुखरूसिंह की आवाज सुनकर बाहर आकर यह नहीं देखा था कि सुखरूसिंह को आरोपीगण गाली-गुफ्तार देते हुए रास्ता रोककर उसके साथ लाठी से मारपीट कर रहे थे। यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण के मारने से प्रार्थी सुकरू के हाथ में चोट लगी थी, उसने सुखरूसिंह एवं आरोपीगण के विवाद में बीच-बचाव किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-5 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण और प्रार्थी के बीच में पहले से विवाद चला आ रहा है।

11- साक्षी विसम्बरसिंह अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले नवम्बर माह में ग्राम तरेगांव की है। घटना के अगले दिन सुबह उसके भाई सखरू ने उसे बताया था कि आरोपी बुद्धसिंह ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने गांव में मीटिंग रखे थे। मीटिंग में आरोपीगण के नहीं आने पर उन्होंने बिरसा थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय रात्रि ग्यारह बजे सखरू ने उसे आकर बताया था कि रास्ते में उसे बसंत और महेन्द्र ने गालियों देकर मारपीट की थी। साक्षी के अनुसार सखरू ने उसे बताया था कि बुद्धसिंह और अन्य लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट की थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि सखरू ने उसे बताया था कि आरोपीगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान

से मारने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे उसके कथन पढ़कर नहीं सुनाये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कथन अपने मन से लिख लिये थे।

12— साक्षी डॉ०एम. मेश्राम अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.11.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक कमलेश क्रमांक 1174 द्वारा आहत सुखरू को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसके दाहिने हाथ की रिंग फिंगर के सामने वाले भाग पर एक सूजन पाया था, दाहिने हथेली के पृष्ठ भाग पर एक सूजन थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी, जबकि चोट क्र०01 में दाहिने रिंग फिंगर की हड्डी टूटने की संभावना को देखते हुए उसे एक्स-रे उपचार तथा अभिमत हेतु अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण के 12 से 18 घंटे पूर्व की थी। चोट क्रमांक 02 को ठीक होने में आठ से दस दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि खुरदुरी एवं कठोर सतह पर कोई व्यक्ति गिर जाये तो प्र.पी.02 की चोट आ सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके पास पहुँचने के पूर्व आहत का घरेलू उपचार हो चुका था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र.पी01 की चोट किसी कठोर वस्तु के प्रहार से आ सकती है।

13— साक्षी परदेशी अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में

हाजिर आरोपी बुद्धसिंह को पहचानता है, जो उसके रिस्ते में मामा का लड़का है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी बुद्धसिंह से कोई जप्ती नहीं की थी, उसके जप्ती पत्रक प्रपी-6 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी बुद्धसिंह ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर सकरूसिंह को दिनांक 19.11.13 को बांस की लाठी से एवं हाथ मुक्कों से मार-पीट किये थे, पुलिस ने आरोपीगण पर मामला दर्ज किया था, उसके समक्ष दिनांक 03.12.13 को आरोपी बुद्धसिंह से एक बांस की लाठी जप्ती पत्रक प्रपी-6 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था, आरोपी बुद्धसिंह उसका रिस्ते में मामा का लड़का है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह हस्ताक्षर करना नहीं जानता है और वह सिर्फ अंगूठा लगाता है।

14— साक्षी किरण कुमार अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.11.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी सुखरूसिंह की मौखिक शिकायत पर उसने आरोपीगण बुद्धसिंह, बसंत तथा महेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 160/13 अंतर्गत धारा-294, 341, 323, 506, 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट लेखबद्ध करने के बाद केस डायरी थाना प्रभारी द्वारा विवेचक को प्रदान की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि फरियादी सुखरूसिंह ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख नहीं कराई थी, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध झूठी तैयार की थी, उसने प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं बताया था।

15— साक्षी राजेशधर अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक

20.11.13 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र 160/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 341, 506, 34 भा.दं०सं० की केस डायरी प्राप्त होने पर घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी सुखरूसिंह मेरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत सुखरूसिंह तथा गवाह पवनसिंह, सुखलाल दिनांक 03.12.13 को विसंभरसिंह एवं मीराबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा दिनांक 20.11.13 को आरोपी बुद्धसिंह द्वारा अपने घर के कमरे से निकालकर पेश करने पर एक बांस की लाठी तीन फिट लंबी तथा तीन इंच मोटी गवाह पवन तथा परदेशी के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 03.12.13 को आरोपी बुद्धसिंह, महेन्द्रसिंह तथा बसंत को गवाह खुशियार तथा कैलाश के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 लगायत 10 तैयार किया था, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर आरोपीगण तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

16— साक्षी राजेशधर अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा गवाह सुखराम, पवन, मीराबाई, परदेशी एवं आहत सुखरूसिंह के बयान अपने मन से लेख किये गये थे, उसने स्वतंत्र साक्षीगण के कथन थाने में बैठकर लेख किये थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि गवाह विसंभर, परदेशी एवं सुखराम ने अपने न्यायालयीन कथन में पुलिस को बयान नहीं देना व्यक्त किये हैं, जिसका वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का मौका-नक्शा घटनास्थल पर न जाकर थाने में ही बनाया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि बांस की लकड़ी गीली और सूखी होती है। उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.05 में यह उल्लेख नहीं किया है कि

जप्त की गयी लकड़ी गीली थी अथवा सूखी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष आरोपी से लकड़ी जप्त नहीं की थी, उसने फरियादी से मिलकर आरोपी को झूठे प्रकरण में फंसाया है।

17— घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्वयं परिवादी सुखरू अ.सा.01 है। उक्त साक्षी के कथनों और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, परंतु साक्षी ने जिन व्यक्तियों द्वारा घटना में बीच-बचाव के कथन किये गये हैं, उन्होंने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। साक्ष्य से घटना पवन के घर के सामने होना दर्शित है, परंतु उक्त साक्षी पवनसिंह अ.सा.03 ने घटना के संबंध में जानकारी न होना व्यक्त किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा अपने प्रतिपरीक्षण में परिवादी सुखरू अ.सा.01 ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका पुराना विवाद है। परिवादी की पत्नी मीराबाई अ.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसके पति का पुराना विवाद है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके पति का किनके साथ झगड़ा हुआ था। साक्षी के अनुसार उसके पति ने पुरानी रंजिश के कारण आरोपीगण के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई है।

18— उक्त साक्षी मीराबाई अ.सा. 02 परिवादी की पत्नी है और यह संभव प्रतीत नहीं होता कि पत्नी को पति के विवाद की जानकारी न हो तथा उसके द्वारा पति के विरुद्ध असत्य कथन किये जावे। तथापि यदि पुरानी रंजिश के कारण आरोपीगण को झूठा फंसाने के तथ्य पर विश्वास न किया जाए, तब भी प्रकरण में परिवादी सुखरू के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और उक्त परिवादी की साक्ष्य अन्य साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इतनी ठोस नहीं है कि मात्र उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जा सके, जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सखरुसिंह मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर फरियादी को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी को बांस की लाठी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया तथा फरियादी सखरु सिंह मेरावी को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34, 341, 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन हो।

21- प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट